प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, बरेली, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर व लखीमपुर खीरी।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2017

विषय- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रदेश के जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या- 8/2017/1231/12-2-2017-60(3)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1626/12-2-2017-60(3)/2016 टी0सी0 दिनांक 19 मई, 2017 के क्रम में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रदेश के उक्त जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को निम्नलिखित प्राविधानानुसार लागू किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

1- भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/02/2015-क्रेडिट-।। दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं प्रदेश सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेश 22 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1626/12-2-2017-60(3)/2016 टी0सी0 दिनांक 19 मई, 2017 में निर्गत निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

2- योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में निम्नानुसार फसलों को अधिसूचित किया गया है:-

क्र.सं.	जनपद	अधिसूचित फसल
1	कुशीनगर, गोरखपुर, महराजगंज, बहराइच व इलाहाबाद	केला
2	बरेली, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी व शाहजहाँपुर	मिर्च

3- कवर किये गये जोखिम-

(i) फसल केला- कम व अधिक वर्षा, लगातार शुष्क अवधि, तापमान, तेज हवा।

(ii) फसल मिर्च- कम व अधिक वर्षा, लगातार शुष्क अवधि, तापमान, आद्रता।

4- योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में अधिसूचित फसल केला तथा फसल मिर्च के उत्पादक कृषकों, जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, को प्रस्तर-3 में उल्लिखित जोखिमों से फसल को क्षति होने की सम्भावना के आधार पर बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) द्वारा सम्बन्धित वर्ष में दिनांक 31 जुलाई की अन्तिम तिथि तक प्रीमियम की कटौती कराते हुए निम्नवत योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा:-

(i) ऋणी कृषक:-वित्तीय संस्थाओं-व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक शाखाओं/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से मौसम विशेष में अधिसूचित फसलों हेतु अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों को सम्बन्धित बैंक शाखा/ संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से योजना में कवर किया जायेगा।

(ii) गैर ऋणी कृषक:- अन्य सभी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा अपनी इच्छानुसार मौसम विशेष में अधिसूचित फसल का बीमा निकटतम बैंक शाखा/क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से कराया जा सकेगा।

- गैर ऋणी कृषक द्वारा योजना में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रस्ताव फार्म में सूचनायें अंकित करते हुए प्रीमियम की धनराशि को बैंक शाखा/ क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा अधिकृत एजेन्ट, जो लागू हो, के पास आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों (भू स्वामित्व अथवा बटाई अथवा किराये पर खेती की स्थिति में अनुबन्ध की प्रति, जो लागू हो) के साथ जमा करना होगा। बैंक शाखा/क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा अधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्ताव फार्म में भरी गयी सूचना-फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम आदि की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी। कृषक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- गैर ऋणी कृषकों द्वारा वैकल्पिक रूप से अपने निकटतम बैंक शाखा अथवा क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय द्वारा फसलों का भी बीमा कराया जा सकेगा।

(iii) ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक द्वारा अग्रिम फसल बुवाई योजना (Advance Crop Planning) के आधार पर फसलों की वास्तविक बुवाई से पूर्व योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा। यदि किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित फसल के स्थान पर कोई अन्य अधिसूचित फसल बोई जाती है तो ऐसी स्थिति में कृषक बीमा कराने की निर्धारित तिथि के 30 दिन तक की अवधि में सम्बन्धित बैंक/बीमा मध्यस्थ अथवा एजेण्ट/सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को संशोधित फसल हेतु अतिरिक्त प्रीमियम (यदि आवश्यक हो) के साथ सूचित करते हुए फसल का बीमा करा सकेगा। जिसका सत्यापन/पुष्टि स्वयं क्रियान्वयन अभिकरण के द्वारा किया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में फसल केला तथा फसल मिर्च को जनपद के प्रत्येक ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर (बीमा इकाई क्षेत्र) पर अधिसूचित किया गया है:-

योजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बीमा कम्पनियों द्वारा अपने अधिकृत कार्यक्षेत्र के जनपदों में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की फसलों को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- बीमित राशि, प्रीमियम दर व अनुदान- वर्ष 2017-18 व 2018-19 में अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लिखित है।

8- कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय-सारिणी:-

(i) ऋणी कृषक- वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/सहकारी बैंक शाखाओं/पैक्स द्वारा सम्बन्धित वर्ष 2017-18 व 2018-19, जिसमें बीमा किया जा रहा है, में अधिसूचित फसलों हेतु स्वीकृत अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण/नवीनीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को सम्बन्धित वर्ष में दिनांक 31 जुलाई की अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए योजना में अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा प्रीमियम की धनराशि हेतु अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते हुए अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

- प्रत्येक ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा बैंक में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्ट-2 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए वर्ष 2017-18 व 2018-19 की अवधि हेतु स्वीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को सम्बन्धित वर्ष में दिनांक 31 जुलाई की अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा।
- व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण निर्धारित प्रारूप (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा दिनांक 31 जुलाई की समाप्ति के 15 कैलेण्डर दिन के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।
- पैक्स, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा दिनांक 31 जुलाई की समाप्ति के 15 कैलेण्डर दिन के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने स्तर पर एवं पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर, प्राप्त होने के 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) गैर ऋणी कृषक- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा सम्बन्धित वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से दिनांक 31 जुलाई की अवधि में परिशिष्ट-2 में फसलवार उल्लिखित बीमित राशि का बीमा निकटतम बैंक शाखा अथवा क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

- प्रत्येक गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-2 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।
- व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक शाखा/पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित वर्ष में दिनांक 31 जुलाई की समाप्ति के 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा।
- पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, द्वारा फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा दिनांक 31 जुलाई की समाप्ति के 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने स्तर पर एवं पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को प्राप्त होने के 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जनपद की क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म सहित घोषणा-पत्र व समेकित बीमा शुल्क को 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जनपद की क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वर्ष में निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात बैंकों से प्राप्त घोषणा पत्र व प्रीमियम राशि स्वीकार नहीं की जायेगी एवं इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित बैंक शाखा का होगा। अत: बैंक शाखा/ सहकारी बैंक/पैक्स सम्बन्धित वर्ष के खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई, 2017 की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात क़षकों से प्रीमियम स्वीकार न करें।

(iv) क्रियान्वयन अभिकरण को प्रीमियम व घोषणा पत्र प्रेषित किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर बैंक शाखाओं/ जिला सहकारी बैंक (पैक्स की स्थिति में) द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी बीमित कृषकों का पूर्ण विवरण यथा कृषक का नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, गाँव का नाम, कृषक श्रेणी-लघु व सीमान्त/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला, बीमित फसल, खसरा नम्बर, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम पर अनुदान, मोबाइल नम्बर आदि साफ्ट कापी में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित की जायेगी तथा विवरण को भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। बैंक शाखाओं/ जिला सहकारी बैंकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से अपेक्षित है कि फसल बीमा पोर्टल पर निर्धारित प्रोफार्मा में फसल बीमा से सम्बन्धित सूचनाओं को समय से अपलोड करें।

(v) सभी बैंक शाखाओं/जिला सहकारी बैंक शाखाओं द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना में कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण-पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि को जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) बैंक शाखाओं/ जिला सहकारी बैंक (पैक्स की स्थिति में) द्वारा प्रस्तर-8-(iv) में की गयी अपेक्षा के क्रम में फसल बीमा पोर्टल पर विवरण को अपलोड करने में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(vii) बीमा प्रस्ताव प्राप्त होने के सामान्यतया एक माह की अवधि में अपूर्ण घोषणा-पत्र/बीमा से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों न होने/निर्धारित प्रीमियम की धनराशि न जमा करने/आवश्यक प्रमाण पत्र न जमा करने आदि की स्थिति में जनपद में क्रियान्वयन अभिकरण को बीमा प्रस्ताव स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। बीमा प्रस्ताव अस्वीकार होने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त प्रीमियम को तत्काल सम्बन्धित बैंक शाखा को वापस किया जायेगा।

(viii)समस्त बैंकों द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा अधिसूचित फसलवार स्वीकृत ऋण सीमा के सापेक्ष कुल बीमित राशि की समीक्षा की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सभी पात्र कृषकों का बीमा अधीनस्थ बैंक शाखाओं द्वारा किया गया है।

<u>यदि नोडल बैंक/शाखा/पैक्स की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रहता है तो योजना के प्राविधानानुसार सम्बन्धित संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई सुनिश्चित करेंगी।</u>

9- योजना में फसलों की क्षति के आंकलन हेतु निर्धारित प्रक्रिया व समय-सीमा क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा फसलों की क्षति का ऑकलन बीमा इकाई स्तर (ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर) पर किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अधिसूचित फसल की बुवाई से कटाई के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरणों में फसल की आवश्यकतानुसार निर्धारित मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 में फसलवार टर्मशीट में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप आंकलित किया जायेगा। मौसम की वास्तविक स्थिति का निर्धारण मौसम केन्द्र स्तर पर मौसम के प्रतिदिन के ऑकड़ों के आधार पर किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा अवधि की समाप्ति के 45 दिन के अन्दर सम्बन्धित बैंक के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया- क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को व्यक्गित दावा प्रस्तुत करना नहीं होगा। बैंक/पैक्स से बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के रूप में करते हुए क्षतिपूर्ति के पूर्ण विवरण को हार्डकापी में सम्बन्धित बैंक शाखा/नोडल शाखा को प्रेषित किया जायेगा। बैंक शाखा/पैक्स द्वारा अपने स्तर पर क्षतिपूर्ति की धनराशि को क्रियान्वयन अभिकरण से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में जमा कराते हुए पुष्टि प्रमाण पत्र क्रियान्वयन अभिकरण को 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जायेगा। बैंक/पैक्स द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची बैंक शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण के एजेन्ट/मध्यस्थ के माध्यम से बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के रूप में सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

10. **प्रीमियम की कटौती की रसीद** -क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंकों से प्रीमियम की धनराशि व घोषणा पत्र प्राप्त होने के 45 कैलेण्डर दिन के अन्दर सम्बन्धित बैंक शाखाओं को बीमा कवरेज की स्थिति से अवगत कराया जायेगा, ताकि बैंक शाखा द्वारा तत्क्रम में कृषकों को प्रीमियम की कटौती की रसीद निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जा सके।

11. **एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को सूचित करना**- बीमित कृषक को तीन चरणों में एस0एम0एस0 के माध्यम से अनिवार्य रूप से बीमा कवरेज व क्षतिपूर्ति की स्थिति से सूचित किया जायेगा। प्रथम चरण में बैंक शाखा स्तर पर प्रीमियम की कटौती होते ही बीमित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एस0एम0एस0 किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद द्वितीय चरण में बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित धनराशि व प्रीमियम की धनराशि के विवरण तथा तृतीय चरण में क्षतिपूर्ति की स्थिति से कृषक को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

12- जनपद स्तर पर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं उप कृषि निदेशक, जनपद स्तर पर बैंकों, क्रियान्वयन अभिकरण, राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग के समन्वय से फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक व समयबद्ध संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

13- क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति, बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति व नियुक्त कार्मिकों/बीमा मध्यस्थ द्वारा किये जाने वाले कार्य-

- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी व कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के 30कैलेण्डर दिन के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेश कार्यालय स्तर पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का अपडेटेड पूर्ण डाटा बैंक स्तर पर तैयार कर रखा जायेगा। इन सूचनाओं को प्रदेश शासन व निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र 0को नियमित रूप से एवं मॉगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेशीय प्रमुख द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश शासन, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व बैंकों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 30कैलेण्डर दिन के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में कम्पनी का कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति तथा प्रत्येक ब्लाक पर गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी हेतु बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदेश व जनपद स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, जनपद के उप कृषि निदेशक एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को नियुक्ति के पश्चात् अधिकतम 07 कैलेण्डर दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगाः-

क्र०सं०	मद	कार्यालय का पता, फैक्स, ई-मेल व फोन नं०	नियुक्त अधिकारी का पूर्ण विवरण		
			कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ई-मेल नं०
1	प्रदेश स्तर				
2	जनपद स्तर				
3	ब्लाक स्तर पर नियुक्त बीमा मध्यस्थ				

- क्रियान्वयन अभिकरण के जनपद स्तर के कार्मिक द्वारा जनपद में समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठकों में पूर्ण व अद्यतन सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जायेगा। इन कार्मिकों द्वारा जनपद में फसलों के वास्तविक व बीमित क्षेत्र में विसंगति के निराकरण हेतु सर्वेक्षण, योजना का व्यापक व प्रभावी प्रचार-प्रसार, गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- जनपद के उप कृषि निदेशक जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक सुनिश्चित करायेंगे। जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों की सहभागिता, बैंकों से त्रुटिरहित घोषणा पत्रों को समय से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसलों के क्षेत्रफल में विसंगति, क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंकों द्वारा कृषकों के खातो में समायोजन, योजना का जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का निराकरण समस्त कार्यवाहियों को जनपद स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों में बैकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिसूचित फसलों के सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषकों को योजना में स्वैच्छिक आधार पर कवरेज प्रदान करने, प्रीमियम की धनराशि एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

त्रुटिरहित घोषणा पत्र को बैंकों से समय से क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी सम्भव प्रयास किया जायेगा ताकि प्रतिभाग करने हेतु सभी इच्छुक/पात्र कृषको को योजना में कवरेज सुनिश्चित हो सके।

14- फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण - अधिसूचित फसलों के अन्तर्गत बीमित किये जा रहे क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति के निराकरण हेतु बीमा कम्पनी द्वारा निम्नवत् कार्यवाही कर कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगीः-

(i) जनपद में फसल के बीमित किये जा रहे क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति की स्थिति को क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के संज्ञान में लाया जायेगा। वर्तमान मौसम में फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल की उपलब्धता न होने की स्थिति में फसल के विगत वर्षों के क्षेत्रफल का उपयोग किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा विसंगति के निराकरण हेतु जनपद के कृषि, राजस्व, उद्यान व क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी /प्रतिनिधि की संयुक्त टीम गठित की जायेगी। इस टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए क्षेत्र विशेष में फसल के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्रफल में विसंगति होने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा भारत सरकार की दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार विसंगति के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित फसल के अन्तर्गत बीमित क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का प्रत्येक दशा में अन्तिम रूप से निराकरण प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की अन्तिम मांग निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र 0को प्रस्तुत करने से पूर्व अवश्य सुनिश्चित करेंगे। राज्यांश की अन्तिम मांग निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र 0कार्यालय को प्रस्तुत करने के पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा Acreage Discrepancy के अन्तर्गत कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

15- राज्यांश की मांग-

(i) क्रियान्वयन अभिकरण की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उ०प्र० अधिकृत होंगे।

(ii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना की अद्यतन प्रगति के आधार पर 50 प्रतिशत तक राज्यांश की माँग अग्रिम के रूप में दिनांक 31 जुलाई के पश्चात प्राथमिकता पर निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा उ0प्र0 कार्यालय को अद्यतन प्रगति विवरण के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंकों से प्रीमियम व घोषणा पत्र प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि के 30 कैलेण्डर दिन के अंदर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनावार अधिसूचित बीमा ईकाई क्षेत्रवार व बीमित कृषकवार बीमा की प्रगति विवरण को अंतिम रूप देते हुए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की मांग को निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बीमा, उ0प्र0 कार्यालय को समस्त सूचनाओं/विवरण के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) क्रियान्वयन अभिकरण को प्रत्येक मौसम में कुल देय राज्यांश के 5 प्रतिशत धनराशि को राज्य सरकार द्वारा कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति का भुगतान क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् जारी किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इस आधार पर कृषकों को योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की देय क्षतिपूर्ति को लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(v) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है तथा कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। कृषक द्वारा अपने खेत में बोई गयी फसल का दो बार बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित कृषक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए बीमा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करे। ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक द्वारा जमा कराये गये प्रीमियम अंश को वापस नहीं किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विगसंति हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा यह भी घोषित किया जायेगा कि राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जा रही है उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है तथा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है।

(vi) वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्ष में योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(vii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंक शाखाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के 30 कैलेण्डर दिन के अंदर बैंकों से भुगतान की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसे निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

16- **योजना का प्रचार-प्रसार** -क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में बीमा ईकाई स्तर तक फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगीः-

- स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- जनपद के बैंक कार्मिकों एवं जनपदीय अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- जनपद के मा० मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्येक जनपदों में बैंक शाखाओं के स्तर पर पर्याप्त संख्या में घोषणा पत्र, प्रस्ताव फार्म, हैण्डबिल्स, पम्पलेट, पोस्टर व बैनर आदि की आपूर्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के 30 कैलेण्डर दिन के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ के कार्यालय एवं कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय व दिन आदि का बैंक शाखाओं/बीमा ईकाई स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा टोलफ्री नं0 जारी किये जायेंगे जिसके माध्यम से कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों द्वारा योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सके तथा आपदा की स्थिति में दावा की सूचना बीमा कम्पनी को दी जा सके। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद/तहसील/विकासखण्ड/न्यायपंचायत /ग्रामपंचायत स्तर पर कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार में खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायती राज विभाग एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

17- **कृषकों की समस्याओं पर कार्यवाही** -बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों/सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों द्वारा संदर्भित की गई समस्याओं/कठिनाईयों/सूचनाओं का तत्परता से निस्तारण/सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। जनसूचना/जनसुनवाई/ कोर्टकेस/लोकसभा प्रश्न/ राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न /विधान परिषद प्रश्न /उपभोक्ता फोरम/जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी प्रेक्ष्याओं /कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर/निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

18- **योजना का अनुश्रवण व ऑडिट** -राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति की प्रतिमाह समीक्षा बैठक की प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को इसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण के जनपदीय कार्यालय पर कार्यरत स्टाफ द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातो में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन बैंक शाखाओं के स्तर पर करते हुए रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेशीय व मुख्यालय स्तर से कम से कम 1 या 2 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातो में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन किया जायेगा।

क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को बैंक स्तर पर सत्यापित करते हुए जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को सत्यापित कराते हुए रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी।

प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

19- **फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना** -क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के पूर्ण विवरण को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल- www.agri-insurance.gov.in पर अधिसूचना जारी होने के 30 कैलेण्डर दिन के अन्दर अपलोड किया जायेगा एवं बैंक शाखाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण को सत्यापित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण तथा योजना के सभी कार्यकारी संस्थाओं एवं कृषकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पारदर्शी तरीके से योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर योजना का नाम, बीमित क्षेत्रफल, बीमित कृषक, बीमित धनराशि, कृषक द्वारा देय प्रीमियम, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम पर देय अनुदान की धनराशि, क्रियान्वयन अभिकरण, जनपदवार अधिसूचित फसलवार एवं बीमा इकाई क्षेत्रवार अपलोड किया जायेगा, ताकि कृषक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था बीमा से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनायें इन्टरनेट एवं एस०एम०एस० के माध्यम से प्राप्त कर सकें। सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण, योजना की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अधिसूचना से सम्बन्धित समस्त सही-सही सूचनाओं/ऑकडों को इन्श्योरेन्स पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर लोड की गयी सूचनाओं की पुष्टि/ सत्यापन किया जायेगा। इन्श्योरेन्स बेव पोर्टल को www.agri-insurance.gov.in पर देखा जा सकता है।

20- व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने शाखा बैंक के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी शाखा बैंकों द्वारा कृषकों के प्रीमियम की धनराशि तथा त्रुटि रहित घोषणा-पत्र क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध हो जाये।

21- **दण्ड (Penalty)**- फसल बीमा योजना के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है, अथवा कृषक को योजना के अन्तर्गत अनुमन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभ समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, की स्थिति में प्रत्येक मौसम में क्रियान्वयन अभिकरण पर परिशिष्ट-5 में उल्लिखित तालिका के अनुरूप आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही के विरूद्ध क्रियान्वयन अभिकरण को अपना पक्ष एक माह के अन्दर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। क्रियान्वयन अभिकरण पर अर्थदण्ड या अन्य कोई देय धनराशि का बकाया रहता है, तो उसे भविष्य के लिए काली सूची (Black List) में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

22- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार उद्यान विभाग से सम्बन्धित आवश्यक ऑकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की मॉग के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।

23. बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।

24. क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में बीमा कम्पनियों के कार्य क्षेत्र को दो वर्ष हेतु इस आशय से निर्धारित किया गया है ताकि बीमा कम्पनी द्वारा जनपद में विशेष रणनीति बनाते हुए क्षेत्रीय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद में अपनी बचतों से कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम यथा पेयजल सुविधा/स्वास्थ्य सेवा/शिक्षा/नो क्लेम बोनस/मौसम के अनुमान/ व्यक्तिगत बीमा कवर/साझा सेवा केन्द्र आदि का विकास सुनिश्चित करते हुए कृषकों में अपनी कम्पनी की विश्वसनीयता स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

25. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृषि विभाग के अधिकारी क्रियान्वयन अभिकरण के संगत रिकार्डों तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं इस पूरी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

26. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तद्नुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

27. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

28. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रत्येक मौसम में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि पर चार प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में प्रदान किया जाएगा।

30. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक (बैंक शाखा/जिला सहकारी बैंक) को जारी करते हुए योजना का जनपद में फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक तथा उसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायेगी।

31. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा जिला उद्यान अधिकारी/उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ से अलग से अनुरोध किया जाय।

32. जनपद के प्रत्येक अधिसूचित विकास खण्ड में अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र इकाई के माध्यम से दो मौसम केन्द्र इस तरह से स्थापित कराये जायेंगे कि प्रत्येक मौसम केन्द्र ब्लाक के सम्पूर्ण क्षेत्र के लगभग आधे-आधे क्षेत्र को Uniformly कवर करें। इन मौसम केन्द्रों की स्थापना, सुव्यवस्थित ढंग से संचालन, ऑकड़ों के रख-रखाव आदि का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण का होगा। जनपद में जिला उद्यान अधिकारी/ उप कृषि निदेशक स्तर से समय-समय पर मौसम केन्द्रों की स्थापना व संचालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा।

33. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित मौसम केन्द्रों के मौसम सम्बन्धी सभी आवश्यक दैनिक ऑकड़े अनिवार्य रूप से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक 15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

34. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित मौसम केन्द्रों की स्थापना, उपकरण/सेन्सर की गुणवत्ता, मौसम केन्द्रों का रख-रखाव तथा मौसम के ऑकड़ों की गुणवत्ता आदि का सत्यापन भारतीय मौसम विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप जोखिम अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित कराया जायेगा।

35. वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रदेश के शेष 06 जनपदों- देवरिया, बाराबंकी व कौशाम्बी में फसल केला तथा जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद व **बाराबंकी** में फसल मिर्च को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2017/2020/12-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं वाहय सहायतित परियोजना निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
11. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
13. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
16. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
17. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 35-मोती महल मार्ग, हजरत गंज लखनऊ।
18. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.
19. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्श कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०, अम्बादीप, तेरहवीं मंजिल, कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली।
20. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सी0ई0ओ0, रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, रिलायन्स सेन्टर, साउथ विंग, चतुर्थ तल, आफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सान्ताक्रूज (पूर्व) मुम्बई।
21. हेड, रूरल बिजनेस, टाटा-ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, ए-501, पंचम तल, बिल्डिग संख्या-04, इनफिनिटी पार्क, दिनदोशी, मलाड (पूर्व), मुम्बई।
22. प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज एलायन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, जी0ई0 प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे।
23. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
24. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
25. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4- सप्रू मार्ग, लखनऊ।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4- बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
27. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10- अशोक मार्ग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
29. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8-ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
30. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
31. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
32. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं0-183, कैसरबाग, लखनऊ।
33. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
35. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
37. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
38. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
39. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
40. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
41. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
42. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
43. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
44. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
45. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
46. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, तृतीय तल, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
47. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
48. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
49. संयुक्त कृषि निदेशक, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
50. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
51. उप कृषि निदेशक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
52. जिला कृषि अधिकारी, सम्बन्धित, उत्तर प्रदेश।
53. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
54. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
55. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>परिशिष्ट - 1</u>

वर्ष 2017-18 व 2018-19 केखरीफवरबीमौसममेंपुर्नगठितमौसमआधारितफसलबीमायोजनाकेअन्तर्गत क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनी

क्र०स०	जनपद	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी
1	इलाहाबाद	टाटा ए0आई0जी0जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
2	गोरखपुर	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंसकम्पनी लि0
3	महराजगंज	टाटा ए0आई0जी0जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
4	कुशीनगर	बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेंसकम्पनी लि0
5	बहराईच	रिलायन्स जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
6	बरेली	बजाज एलायंजजनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0
7	शाहजहाँपुर	टाटा ए0आई0जी0जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
8	मिर्जापुर	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंसकम्पनी लि0
9	लखीमपुरखीरी	बजाज एलायंजजनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट -2

वर्ष 2017-18व 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल की जनपदवार इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर (कृषकअंश), प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व कुल प्रीमियम दर का विवरण।

फसल - केला							
क्र.सं.	**जनपद**	**अधिसूचितविकासखण्ड**	**बीमितराशि (रू.(हे./**	**प्रीमियम दर (मे %बीमित राशि के)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुलप्रीमियम दर**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद	सम्बन्धितजनपदकेसमस्तविकासखण्ड	150000	5.000	7.500	7.500	20.00
2	गोरखपुर		150000	5.000	7.500	7.500	20.00
3	महराजगंज		150000	5.000	7.500	7.500	20.00
4	कुशीनगर		150000	5.000	7.500	7.500	20.00
5	बहराईच		150000	5.000	7.500	7.500	20.00

फसल - मिर्च							
क्र.सं.	**जनपद**	**अधिसूचितविकासखण्ड**	**बीमितराशि (रू.(हे./**	**प्रीमियम दर (मे %बीमित राशि के)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुलप्रीमियम दर**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरेली	सम्बन्धितजनपदकेसमस्तविकासखण्ड	50000	5.000	10.000	10.000	25.00
2	शाहजहाँपुर		50000	5.000	10.000	10.000	25.00
3	मिर्जापुर		50000	5.000	15.000	15.000	35.00
4	लखीमपुरखीरी		50000	5.000	10.000	10.000	25.00

नोट -

क्रियान्वयनअभिकरणअपनेकार्यक्षेत्रकेप्रत्येकजनपदकेसमस्तविकासखण्डमेंदोस्वचालितमौसमकेन्द्रकोभारतसरकारकेदिशा-निर्देशानुसारजोखिमबीमाप्रारम्भहोनेसेपूर्व (दिनांक31 जलाईसेपूर्व) सुनिश्चितकरायेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING
2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

RE-STRUCTURED WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME - TERM SHEET : YEAR 2017-18					
State	**U.P**	District	**Kushinagar, Gorakhpur, Bahraich, Maharajganj & Allahabad**		
Crop	**BANANA**	Unit of Insurance	**Reference Weather Station in each Notified Block**		
Name of Implementing Agency					
it	**Per Hectare**				
1.Deficit Rainfall Cover	Aggregate of rainfall over strike value in respective phases				
Cover phase from	01-Aug-17	21-Aug-17	11-Sep-17		
To	20-Aug-17	10-Sep-17	30-Sep-17		
Strike 1 (mm)	250	225	250		
Strike 2 (mm)	150	100	100		
Exit (mm)	80.23	50	50		
Standard Loss Rate between Strike 1 and Strike 2 & Notional(Rs/mm/Hectare)	50	37.54	23.89		
Standard Loss Rate between Strike 2 and Strike Exit Notional 2(Rs/mm/Hectare)	86.36	252.65	148.83		
Policy limit (mm/Hectare)	11025	17325	11025		
2. Consecutive Dry Days Cover	Number of Consecutive Dry Days (dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm)				
Cover Phase	1-Aug-17 to 30-Sep-17				
Phase	1	2	3	4	5
Strike(days)	9.00	12.00	16.00	20.00	24.00
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	7875.00	10500.00	13125.00
3.Temperature Fluctuation Cover	Count of days daily Mean temperature over 40.0 degree Celsius or below 12 degree Celsius				
Cover Phase	15-Aug-17 to 31-Oct-17				
Phase	1	2	3	4	5
Strike(days)=>	3	5	8	10	12
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	7875.00	10500.00	13125.00
4.Excess Rainfall Cover	Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall over strike value in respective phases				
Cover phase from	1-Aug-17	1-Sep-17	1-Oct-17		
To	31-Aug-17	30-Sep-17	31-Oct-17		
Strike 1 (mm)	200	100	125		
Exit (mm)	300	225	225		
Standard Loss Rate between Strike 1 and Exit Notional1(Rs/mm/Hectare)	148.35	107.64	148.35		
Payout (Rs/Hectare)	14835	13455	14835		
5.High Wind Speed	Maximum of daily wind speed over strike value in respective phases				
Cover phase	1-Jul-18 to 31-Oct-18				
Phase	1	2	3	4	5
Strike (km/hr)	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00
Payout (Rs/Hectare)	4125.00	8250.00	16500.00	24750.00	41250.00
Total Sum Insured (Rs/Hec)	1,50,000.00				
Total Premium (Rs/Hec)					
Farmer's Premium (Rs/Hec)	7500.00				

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING

2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

RE-STRUCTURED WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME - TERM SHEET : YEAR 2017-18

State	**U.P**	District	**Lakhimpur Kheri, Mirzapur, Bareilly & Shahjahanpur**		
Crop	**CHILLY**	Unit of Insurance	**Reference Weather Station in each Notified Block**		
Name of Implementing Agency					
Unit	**Per Hectare**				
1. Index-A (Deficit Rainfall Cover)	Aggregate of rainfall over strike value in respective phases				
Cover Phase, From	1- Aug -17	11-Aug-17	21-Aug-17		
to	10-Aug-17	20-Aug-17	31-Aug-17		
Strike 1 (mm)	280	275	245		
Strike 2 (mm)	250	150	150		
Exit (mm)	150	50	100		
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	40	20	30		
Notional 2 (Rs/mm/Hectare)	33	15	23		
Pay out (Rs/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00		
2.Index-B (Excess Rainfall Cover)	Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall over strike value in respective phases				
Cover Phase, From	01-Aug-17	21-Aug-17	11-Sep-17		
to	20-Aug-17	10-Sep-17	30-Sep-17		
Strike 1 (mm)	280	200	120		
Exit (mm)	380	300	220		
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	45	40	40		
Policy limit (mm/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00		
3.Index-C (Temperature Fluctuation with Relative Humidity Cover)	Number of days over strike value in respective phases with daily mean temperature above benchmark-1 or below benchmark-2 along with humidity of 80 percentage or more as benchmark-3				
Cover Phase	1-Sep-17 to 31-Oct-17				
	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4	Exit
Trigger(>=)	3	5	8	10	12
Payout (Rs/Hectare)	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00	12,500.00
Benchmarks	Benchmark - 1	Benchmark -2	Benchmark -3		
	32^0 C	18^0 C	80% or more humidity		
4.Index- D (Consecutive Dry Days Cover)	Number of Consecutive Dry Days over trigger value in respective phases (dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm)				
Cover Phase	1-Aug-17		to	30-Sep-17	
	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4	Exit
Trigger (Consecutive Dry Days Cover) (>=)	9	12	16	20	24
Payout (Rs/Hectare)	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00	12,500.00
Total Sum Insured (Rs/Hectare)	50,000.00				
Total Premium(Rs/Hectare)					
Farmer's Premium(Rs/Hectare)	2500.00				

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING
2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

RE-STRUCTURED WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME - TERM SHEET : YEAR 2018-19					
State	**U.P**	District	**Kushinagar, Gorakhpur, Bahraich, Maharajganj & Allahabad**		
Crop	**BANANA**	Unit of Insurance	**Reference Weather Station in each Notified Block**		
Name of Implementing Agency					
Unit	**Per Hectare**				
1.Deficit Rainfall Cover	Aggregate of rainfall over strike value in respective phases				
Cover phase from	1-Aug-18	21-Aug-18	11-Sep-18		
To	20-Aug-18	10-Sep-18	30-Sep-18		
Strike 1 (mm)	250	225	250		
Strike 2 (mm)	150	100	100		
Exit (mm)	80.23	50	50		
Standard Loss Rate between Strike 1 and Strike 2& Notional(Rs/mm/Hectare)	50	37.54	23.89		
Standard Loss Rate between Strike 2 and Strike Exit Notional 2(Rs/mm/Hectare)	86.36	252.65	148.83		
Policy limit (mm/Hectare)	11025	17325	11025		
2. Consecutive Dry Days Cover	Number of Consecutive Dry Days (dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm)				
Cover Phase	1-Aug-18 to 30-Sep-18				
Phase	1	2	3	4	5
Strike(days)	9.00	12.00	16.00	20.00	24.00
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	7875.00	10500.00	13125.00
3.Temperature Fluctuation Cover	Count of days daily Mean temperature over 40.0 degree Celsius or below 12 degree Celsius				
Cover Phase	15-Aug-18 to 31-Oct-18				
Phase	1	2	3	4	5
Strike(days)=>	3	5	8	10	12
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	7875.00	10500.00	13125.00
4.Excess Rainfall Cover	Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall over strike value in respective phases				
Cover phase from	1-Aug-18	26-Aug-18	21-Sep-18		
To	25-Aug-18	20-Sep-18	31-Oct-18		
Strike 1 (mm)	200	100	125		
Exit (mm)	300	225	225		
Standard Loss Rate between Strike 1 and Exit Notional1(Rs/mm/Hectare)	148.35	107.64	148.35		
Payout (Rs/Hectare)	14835	13455	14835		
5.High Wind Speed	Maximum of daily wind speed over strike value in respective phases				
Cover phase	1-Jul-19 to 31-Oct-19				
Phase	1	2	3	4	5
Strike (km/hr)	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00
Payout (Rs/Hectare)	4125.00	8250.00	16500.00	24750.00	41250.00
Total Sum Insured (Rs/Hec)	1,50,000.00				
Total Premium (Rs/Hec)					
Farmer's Premium (Rs/Hec)	7500.00				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING

2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

RE-STRUCTURED WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME - TERM SHEET : YEAR 2018-19

State	**U.P**	District	**Lakhimpur Kheri, Mirzapur, Bareilly & Shahjahanpur**		
Crop	**CHILLY**	Unit of Insurance	**Reference Weather Station in each Notified Block**		
Name of Implementing Agency					
Unit	**Per Hectare**				
1. Index-A (Deficit Rainfall Cover)	Aggregate of rainfall over strike value in respective phases				
Cover Phase, From	1-Aug-18	11-Aug-18	21-Aug-18		
to	10-Aug-18	20-Aug-18	31-Aug-18		
Strike 1 (mm)	280	275	245		
Strike 2 (mm)	250	150	150		
Exit (mm)	150	50	100		
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	40	20	30		
Notional 2 (Rs/mm/Hectare)	33	15	23		
Pay out (Rs/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00		
2.Index-B (Excess Rainfall Cover)	Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall over strike value in respective phases				
Cover Phase, From	1-Aug-18	21-Aug-18	11-Sep-18		
to	20-Aug-18	10-Sep-18	30-Sep-18		
Strike 1 (mm)	280	200	120		
Exit (mm)	380	300	220		
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	45	40	40		
Policy limit (mm/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00		
3.Index-C (Temperature Fluctuation with Relative Humidity Cover)	Number of days over strike value in respective phases with daily mean temperature above benchmark-1 or below benchmark-2 along with humidity of 80 percentage or more as benchmark-3				
Cover Phase	1-Sep-18 to 31-Oct-18				
	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4	Exit
Trigger(>=)	3	5	8	10	12
Payout (Rs/Hectare)	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00	12,500.00
Benchmarks	Benchmark - 1	Benchmark -2	Benchmark -3		
	32^0 C	18^0 C	80% or more humidity		
4.Index- D (Consecutive Dry Days Cover)	Number of Consecutive Dry Days over trigger value in respective phases (dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm)				
Cover Phase	1-Aug-18		to	30-Sep-18	
	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4	Exit
Trigger (Consecutive Dry Days Cover) (>=)	9	12	16	20	24
Payout (Rs/Hectare)	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00	12,500.00
Total Sum Insured (Rs/Hectare)	50,000.00				
Total Premium(Rs/Hectare)					
Farmer's Premium(Rs/Hectare)	2500.00				

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट – 5

बीमा कम्पनी द्वारा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनाके अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता से कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट एवं आर्थिक दण्ड का निर्धारणः-

क्र.सं.	**सम्पादित किये जाने वाले कार्य**	**मदवार सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित समय सारिणी**	**दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट**	
1	प्रदेश व सभी कार्यक्षेत्र के जनपदों के स्तर पर बीमा कम्पनी का कार्यालय की स्थापना एवं अधिकारी की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के अधिकतम 30 कैलेण्डर दिन तक।	**1.1** अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 कैलेण्डर दिन के पश्चात् एवं 45 कैलेण्डर दिन तक।	02 प्वाइन्ट
			1.2 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात्	04 प्वाइन्ट
			1.3 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात् भी कार्यालय की स्थापना व अधिकारी की नियुक्ति नहीं किये जाने पर।	12 प्वाइन्ट
2	कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों के प्रत्येक ब्लाक पर बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के अधिकतम 30 कैलेण्डर दिन तक।	**2.1** अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 कैलेण्डर दिन से अधिक व 45 कैलेण्डर दिन तक।	02 प्वाइन्ट
			2.2 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात्।	04 प्वाइन्ट
3	कार्यक्षेत्र के जनपदों में फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निस्तारण किया जाना।	प्रदेश सरकार को राज्यांश की मॉग प्रस्तुत करने से पूर्व।	**3.**जनपद के जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में विसंगति को संज्ञान में न लाने एवं कृषि व राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सर्वेक्षण सुनिश्चित नहीं किये जाने पर।	03 प्वाइन्ट
4.	कृषकों को बीमा कवरेज की स्थिति व क्षतिपूर्ति के विवरण से एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित करना।	बैंक शाखा स्तर पर प्रीमियम की कटौती होने के 15 कैलेण्डर दिन में बीमित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एस0एम0एस0 किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।	**4.1** प्रीमियम की कटौती के 15 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट
		बीमा कम्पनी द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित धनराशि व प्रीमियम की धनराशि के विवरण को 45 कैलेण्डर दिन में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषक को सूचित किया जाय।	**4.2** 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट
		बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति जारी किये जाने के 15 कैलेण्डर दिन में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषक को सूचित किया जाय।	**4.3** 15 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट

क्र.सं.	**सम्पादित किये जाने वाले कार्य**	**मदवार सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित समय सारिणी**	**दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट**	
5	पुनर्गठितमौसमआधारितफसलबीमायोजनाकेअन्तर्गतक्षतिपूर्तिकाभुगतान।	प्रत्येक मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल	**5.1.1**प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा	06 प्वाइन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा अवधि की समाप्ति के 45 कैलेण्डर दिन के अन्दर।	योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 50 प्रतिशत से कम भुगतान किये जाने पर।	
			5.1.2प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 50 प्रतिशत या अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम भुगतान किये जाने पर।	04 प्वाइन्ट
			5.1.3प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 90 प्रतिशत या अधिक का भुगतान किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट
			5.2प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 07 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से निर्धारित अन्तिम तिथि से 14 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	10 प्वाइन्ट
			5.3प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 14 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से	20 प्वाइन्ट

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			निर्धारित अन्तिम तिथि से 21 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	
			5.4प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 21 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से निर्धारित अन्तिम तिथि से 28 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	30 प्वाइन्ट
			5.5प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 28 कैलेण्डर दिन के उपरान्त पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	बीमा कम्पनी के विरूद्ध अधिकतम् आर्थिक दण्ड (मौसम विशेष में संबन्धित जनपद/ जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत) का निर्धारणकिया जायेगा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्णय लेते हुए बीमा कम्पनी के विरूद्ध ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

आर्थिक दण्डः

1. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता पर कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट के आधार पर आर्थिक दण्ड की निर्धारितधनराशिका विवरणः-

क्र.सं.	**मौसमवार बीमा कम्पनी के कुल दण्ड के प्वाइन्ट का योग**	**मौसमवार बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक दण्ड की धनराशि**
1.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 10 या 10 से अधिक एवं 19 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 0.50प्रतिशत।
2.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 20 या 20 से अधिक एवं 29 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 0.75प्रतिशत।
3.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 30 या 30 से अधिक एवं 39 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.00प्रतिशत।
4.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 40 या 40 से अधिक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.25प्रतिशत।

नोट- बीमा कम्पनी के विरूद्ध उपरोक्त आर्थिक दण्ड का निर्धारण सम्बन्धित जनपद में मौसम विशेष में बीमा कम्पनी के परफार्मेन्स के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।